कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश

संख्या / दस–लाइसेंस–60 /वि0 म0–2 थोक नियमावली/ 2018–2019

इलाहाबाद, ,मार्च, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) की **धारा** 41 के अधीन **शक्तियों** का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 31277/दस–लाइसेंस–60/विदेशी मदिरा–2 थोक नियमावली, दिनांक 26 मार्च, 2002 **में** प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली,2002 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक बिक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (अष्टम संशोधन) नियमावली–2018

संक्षिप्त नाम व प्रारंभ 1– (एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक बिक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (अष्टम संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(दो) यह नियमावली 01 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी।

नियम–2, परिभाषाएं जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्व न हो, इस नियमावली में

(क) **"अधिनियम"**– का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है,

(ख) **"विदेशी मदिरा"**– का तात्पर्य भारत में आयातित स्प्रिट या मदिरा या भारत में निर्मित स्प्रिट या मदिरा से है जो इस प्रकार परिष्कृत या रंजित की गई हो कि भारत में आयातित मदिरा के स्वाद या रंग के सदृश हो और इसमें माल्ट स्प्रिट, विह्स्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका और लाइकर भी सम्मिलित है,

(ग) **"बीयर"** में एल, स्टाउट, पोर्टर, साईडर तथा माल्ट से बनी सभी अन्य किण्वत मदिरा सम्मिलित है जिसकी एल्कोहालिक तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी तक है।

(घ) **"वाइन" का तात्पर्य**– द्राक्षासव या किसी अन्य फल के गूदे या रस के अल्कोहलयुक्त किण्वन से प्राप्त उत्पाद से है, जो प्राकृतिक हो या तेज की गई हो, और जिसकी अल्कोहलिक अंतवस्तु 42 प्रतिशत प्रूफ स्प्रिट से अधिक न हो,

(ङ) **"आबकारी वर्ष"**–का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है,

(च) **"परिवार"**– का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों और इसमें आश्रित माता–पिता भी सम्मिलित है,

(छ) **"प्रपत्र"**–का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,

(ज) **"लाइसेंस प्राधिकारी"**–का तात्पर्य आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है**;**

(झ) **"लाइसेंस फीस"**– का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा–24क के अधीन विदेशी शराब के थोक विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किये जाने के निमित्त प्रतिफलन से है जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व, ऐसी दरों पर **अधिमानतः ई–पेमेन्ट के माध्यम से** देय होगी कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाये**;**

(ञ) **"प्रतिभूति धनराशि"**– का तात्पर्य उस धनराशि से है जो ब्याज मुक्त प्रतिभूति के रुप में राजकीय कोषागार में **अधिमानतः ई–पेमेन्ट के माध्यम से** जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अंतिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी। प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी**;**

(ट) **"प्रतिफल फीस"**– का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा–30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विदेशी मदिरा और वाइन की श्रेणी, बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है**;**

(ठ) **"अतिरिक्त लाइसेंस फीस"**– का तात्पर्य एफ0एल0–2/ एफ0एल0–2बी के अनुज्ञापी द्वारा जनपद जिसके लिये अनुज्ञापन स्वीकृत किया गया है, के अतिरिक्त अन्य जनपद, जिसके लिये एफ0एल0–2/एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं हो सके हैं, में विदेशी मदिरा/बीयर की थोक आपूर्ति के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु प्रतिफल के रुप में उदग्रहणीय धनराशि से है, जो राज्य के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार जमा करनी होगी।

(ड) ''अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य विदेशी मदिरा/बीयर के अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रूपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी/यवासवनी स्तर पर ही संदेय कर ली जायेगी एवं जो आसवनी/यवासवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से पूर्व आसवनी/पूर्व यवाससनी मूल्य के अतिरिक्त वसूलनीय होगी तथा जो थोक

आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर अनुज्ञापी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी।

(च)"पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड करने के प्रयोजन से है।

(छ) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य थोक अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु किसी आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है।

(ज)"व्यक्ति " का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये आवेदन करने के समय पर 21 वर्ष की आयु से अन्यून हो और भारत का नागरिक हो।

नियम–3–लाइसेंस की अवधि

लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, किन्तु अनुज्ञापन अनुज्ञापी की इच्छा पर अगले वर्ष के लिए ऐसे निबंधन और शर्तो जैसा राज्य सरकार चाहे, पर नवीनीकरण अथवा विस्तारित किया जा सकेगा।

नियम–4, विदेशी मदिरा, बीयर ,वाइन तथा कम तीब्रता के मादक पेय के थोक लाइसेंस के प्रकारः–

(1) विदेशी मदिरा, बीयर ,वाइन तथा कम तीब्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिए छः प्रकार के लाइसेंस होंगे अर्थातः–

(क) उत्तर प्रदेश में स्थित आसवनियों/ यवासवनियों तथा द्राक्षासवनियों द्वारा निर्मित **विदेशी मदिरा, बीयर ,वाइन तथा कम तीब्रता के मादक पेय** की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस विनिर्माताओं को उनके अपने उत्पाद को पूर्व संदत्त प्रतिफल शुल्क पर थोक विक्रेताओं को बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0–1 में प्रदान किया जायेगा।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर स्थित आसवनियों, यवासवनियों तथा द्राक्षासवनियों द्वारा निर्मित **विदेशी मदिरा, बीयर ,वाइन तथा कम तीब्रता के मादक पेय** की थोक बिक्री के लिए उन विनिर्माताओं को जिनके द्वारा **विदेशी मदिरा, बीयर ,वाइन तथा कम तीब्रता के मादक पेय** की बोतल भराई के लिए प्रपत्र वि0म0–3क में लाइसेंस ले लिया गया है, प्रपत्र वि0म0–1क में लाइसेंस, पूर्व संदत्त प्रतिफल शुल्क पर अपने ऐसे उत्पादों को थोक विक्रय लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को बिक्रय करने के लिए प्रदान किया जायेगा।

(ग) फुटकर अनुज्ञापित विक्रेताओं को विदेशी मदिरा एवं वाइन की थोक बिक्री के लिये प्रपत्र वि0म0–2 में लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा।

(घ) विदेशी मदिरा, बीयर ,वाइन तथा कम तीब्रता के मादक पेय की सेना के थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0 म0–2क में लाइसेंस दिया जायेगा।

(ड़) फुटकर अनुज्ञापित विक्रेताओं को बिक्री के लिए बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) की थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0–2ख में लाइसेंस दिया जायेगा।

(च) प्रपत्र वि0म0–2 घ में लाइसेंस अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा/**बीयर/वाइन/कम तीब्रता के मादक पेय** के थोक विक्रय के लिए केन्द्र खोलने के लिए प्रदान किया जायेगा। अन्य देशों से यह आयातित विदेशी मदिरा, समुद्रपार विदेशी मदिरा का उत्तर प्रदेश में आयात नियमावली, 2003 के अधीन मंगायी जायेगी।

नियम–5. लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन–पत्र

लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन–पत्र आबकारी आयुक्त द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रारुप में **अधिमानतः आन लाइन** दिये जायेंगे।

नियम–6, लाइसेंस की स्वीकृति

1–(क) इस निमित्त समय–समय पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित नियत फीस और प्रतिभूति धनराशि के **अधिमानतः ई पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से** भुगतान पर आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र

वि0म0–1, वि0म0–1क, वि0म0–2, वि0म0–2क या वि0म0–2ख या वि0म0–2घ में लाइसेंस दिया जायेगा। प्रपत्र एफ0एल0–2 **तथा एफ0एल0–2बी** के अनुज्ञापन जनपदवार होंगे।

(ख) प्रपत्र वि0म0–1, वि0म0–1क या वि0म0–2क नया लाइसेंस देने के मामले में या जब उपर्युक्त किसी भी वर्ग का विद्यमान लाइसेंस रिक्त होता है (जिसमें नामान्तरण भी सम्मिलित है) और उसे जारी रखना तथा किसी अन्य के पक्ष में बन्दोबस्त करना आवश्यक समझा जाये तो आबकारी आयुक्त उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करेगा और उस मामले को पूरे औचित्य के साथ राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिये निर्दिष्ट करेगा। राज्य सरकार के आदेश प्राप्त हो जाने के पश्चात् तदनुसार अग्रतर कार्यवाही की जा सकती है।

नियम–7, **अनुज्ञापन हेतु पात्रता–**

प्रपत्र एफ0एल0–2 एवं एफ0एल0–2ख में लाइसेंस एक या अधिक एफ0एल0–3 या एफ0एल0–3ए लाइसेंस रखने वाले लाइसेंसधारियों को या अन्य ऐसे व्यक्तियों को दिया जायेगा, जो

(क) भारत का नागरिक हो,

या

भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदर न हों जो भारत के नागरिक हों, दुकानों के आवंटन के पश्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा। परन्तु यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो तो उसके मृत्यु की दशा में उसका/उसके विधिक उत्तराधिकारी यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए अनुज्ञापनधारी बने रह सकते है। यदि संयुक्त रुप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के उत्तराधिकारी यदि अन्यथा पात्र हों, अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं या दोनों भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारी, यदि अन्यथा पात्र हो, अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं। भागीदारों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों सम्मिलित रुप से तथा अलग–अलग उत्तरदायी होंगे।

(ख) **अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये आवेदन करते समय** 21 वर्ष की आयु से अधिक हो,

(ग) बकायेदार/काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अन्तर्गत बनायी गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो,

(घ) **देशी मदिरा,** विदेशी मदिरा, **बीयर एवं माडल शाप** की फुटकर बिक्री का कोई अनुज्ञापन नहीं रखता हो,

(ङ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात

(एक) यह कि समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 के प्राविधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।

(दो) यह कि उपखण्ड (ङ) (एक) में दर्शित उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नही किया गया है।

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहॉ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का **प्रमाण–पत्र लाइसेंस के जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा** कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नही है।

(पॉच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप मे नियोजित नही करेगा, जिसकी कोई

आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला है। **लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से उसके अधिकृत बिक्रेता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा।**

(छः) यह कि उस पर कोई लोक **देयता** या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।

(सात) यह है कि ऋणशोधक्षम, है, और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

(आठ) यह है कि आवेदक सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रीय रुप से माफिया गतिविधियों, असामजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबंध/पटटा/ठेका निरस्त कर दिया जाये।

(नौ) यह कि आवेदक बार काउसिंल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में पंजीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाय।

(दस) यह कि वह अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिये अपने आवेदन के साथ पैन नं0 प्रस्तुत करेगा।

(ग्यारह) यह कि वह अर्जित लाइसेंस फीस की धनराशि से अन्यून कुल मालियत का ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

नियम–8, विदेशी मदिरा की आपूर्ति–

(क) लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय की आपूर्ति आबकारी **विभाग** द्वारा अनुमोदित एम.आर.पी. **(अधिकतम खुदरा मूल्य)** प्रदर्शित करने वाली लेबिल व **सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड** लगी बोतलों/**केन्स/टेट्रापैक्स** में विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. **(कम तीव्रता की मादक पेय)** की अनुज्ञापित निर्माता आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों से या अन्य थोक दुकानों से प्रतिफल फीस **(अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित)** और ऐसे अन्य शुल्कों, करों, उपकरों को जो समय–समय पर उद्ग्रहणीय हों, अग्रिम रुप से **तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक के माध्यम से** पूर्ण भुगतान कर प्राप्त करेगा।

(ख) एफ0एल0–2 व एफ0एल0–2ख लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. की आपूर्ति बी0डब्लू0 एफ0एल0–2ए, बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी, बी0 डब्लू0 एफ0 एल0–2सी, बी0डब्लू0एफ0एल0–2डी, से आबकारी **विभाग** द्वारा अनुमोदित एम.आर.पी. प्रदर्शित करने वाले लेबिल व **सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड** लगी बोतलों**/केन्स/टेट्रापैक्स** में प्रतिफल फीस **(अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित)** और ऐसे अन्य शुल्कों, करों उपकरों जो समय–समय पर उद्ग्रहणीय हों, का अग्रिम रुप से **तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक के माध्यम से** पूर्ण भुगतान पर प्राप्त करेगा।

(ग) प्रपत्र एफ0एल0–2 घ में अनुज्ञापी उत्तर प्रदेश में स्थापित कस्टम बाण्डों से आयातित **विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीब्रता के मादक पेय** (बाटल्ड इन ओरिजनल) समुद्रपार की विदेशी मदिरा का उ0प्र0 में आयात नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त करेगा। **उत्तर प्रदेश स्थापित कस्टम बाण्डों में आयातित विदेशी मदिरा/बीयर/ वाइन / कम तीब्रता के मादक पेय के किसी प्रकार के ब्राण्डों की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त की विशेष अनुमति के अधीन इन ब्राण्डों को अन्य राज्यों या संघ राज्यों में स्थापित कस्टम बाण्डों से उत्तर प्रदेश में समुद्रंपार की विदेशी मदिरा का आयात नियमावली, 2003 के उपबंधों के अधीन प्राप्त कर सकता है।**

नियम–9 विक्रय का प्रकार

(क) प्रपत्र वि0म0–1, वि0म0–1क में लाइसेंसधारी, उत्तर प्रदेश राज्य के थोक बिक्रेता (वि0म0–2, वि0म0–2क, वि0म0–2ख) **विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीब्रता के मादक पेय** की बिक्री करेगा और उनसे एक्स फैक्ट्री मूल्य/**एक्स ब्रिवरी मूल्य** और प्रतिफल फीस **(अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित)** या कोई अन्य कर या फीस, यदि कोई हो से अधिक वसूल नहीं करेगा।

(ख) (1) प्रपत्र वि0म0–2क अनुज्ञापी केवल वि0म0–9 लाइसेंसधारी सेना कैन्टीनों को विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा **कम तीव्रता के मादक पेय** की बिक्री करेगा, तथा वि0म0–9क को केवल रियायती रम की बिक्री करेगा। वि0म0–2क अनुज्ञापी वि0म0–1 या वि0म0–1क से वि0म0 क्रय करते समय वि0म0–9क अनुज्ञापियों द्वारा बिक्री की जाने वाली रम के मांग पत्र में अलग उल्लेख करेगा और विदेशी मदिरा–9 के अन्तर्गत बिक्री की जाने वाली स्प्रिट जिसमें रम, व्हिस्की, जिन, ब्राण्डी सम्मिलित है, के लिए अलग मांग पत्र प्रस्तुत करेगा। थोक बिक्रय अनुज्ञापन परिसर में वि0म0–9क के अन्तर्गत विक्रय की जाने वाली रम का संचय अलग से करेगा।

(2) **अनुज्ञापी** अन्य राज्यों से आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश में ऐसी आसवनियों या यवासवनियों के ब्राण्ड के रजिस्ट्रेशन की सूची प्रस्तुत करेगा, और वि0म0 की श्रेणी के अनुसार, वाइन में न्यूनतम अथवा एम.आर.पी. के प्रतिशत के अनुसार और बीयर व एल.ए.बी.के तीव्रता के अनुसार सरकारी कोषागार में प्रतिफल फीस **(अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) ई पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से** जमा करेगा, लाइसेंसधारी प्रतिफल फीस और आयात शुल्क का **ई–चालान** संबंधित जिलों के जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो प्रभार के वि0म0–1ख लाइसेंसधारी को आयात परमिट जारी करेगा। पारेषण प्राप्त होने के बाद उस पर आबकारी **विभाग** द्वारा अनुमोदित **सुरक्षा प्रणाली के नवीन कोड** प्रत्येक बोतल**/केन/टेट्रापैक** पर लगाकर वि0म0–2क लाइसेंसधारी को जारी करेगा।

(ग) (1) प्रपत्र वि0म0–2 **में लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा या वाइन तथा प्रपत्र** वि0म0–2ख में **लाइसेंसधारी बीयर या कम तीब्रता के मादक पेय की बिक्री जनपद के फुटकर लाइसेंसधारियों को करेगा,** किन्तु बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति से अन्य जनपद/ जनपदों, जिसके लिये एफ0एल0–2/एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं हो सके है, के फुटकर अनुज्ञापियों को विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन या कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री नहीं की जायेगी। इस अतिरिक्त बिक्री के लिये अनुज्ञापी को अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करनी होगी।

(2) **प्रपत्र एफ0एल0–2 में लाइसेंसधारक अनुज्ञापी विदेशी मदिरा या वाइन का विक्रय कर सकता है और एफ0एल0–2ख में लाइसेंसधारक अनुज्ञापी संबंधित प्रभारी उप आबकारी आयुक्त की अधिकारिता के भीतर प्रपत्र एफ0एल0–6 कम्पोजिट, एफ0एल0–6क कम्पोजिट, एफ0एल0–7, एफ0एल0–7ख, एफ0एल0–7ग (क्लब बार लाइसेंस) में बार लाइसेंसधारक फुटकर अनुज्ञापी को बियर या लो एल्कोहलिक बिवरेजेज का विक्रय कर सकता है, जब तक कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा इसे प्रपत्र एफ0एल0–6 कम्पोजिट, एफ0एल0–6क कम्पोजिट, एफ0एल0–7, एफ0एल0–7क और एफ0एल0–7ग (क्लब बार लाइसेंस) में लाइसेंसधारक फुटकर विक्रेता को विक्रय करने की अन्यथा अनुमति नहीं दी जाती है।**

(3) **प्रपत्र** एफ0एल0–2डी अनुज्ञाधारक समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, तथा कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री **राज्य के अन्दर प्रपत्र वि0म0–2 तथा वि0म0–2 ख में लाइसेंस धारण करने वाले थोक लाइसेंसधारकों तथा** विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, **कम तीव्रता के मादक पेय** एवं माडल शाप के फुटकर बिक्री के **अनुज्ञापियों** एवं बार व क्लब **बार** के **लाइसेंसधारकों** को करेगा।

नियम–10, मदिरा की निकासी व परिवहन पास

(1) थोक विक्रय की दुकान से **विदेशी मदिरा, बीयर और कम तीब्रता के मादक पेय** की निकासी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित परिवहन पास द्वारा आच्छादित होगी। विदेशी मदिरा, बीयर या वाइन **और कम तीव्रता के मादक पेय** के परिवहन के लिये थोक अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में **कम्प्यूटरजनित परिवहन पास** तीन प्रतियों में तैयार करेगा। पहली प्रति विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन **और कम तीव्रता के मादक पेय** के केता अनुज्ञापी को दिया जायेगा और दूसरी प्रति संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को विलम्बतम 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा। परिवहन पास की तीसरी प्रति थोक अनुज्ञापी अभिलेखार्थ सुरक्षित रखेगा। परिवहन पास पर मदिरा का बैच नं0, निकासी तिथि व **सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड के विवरण अंकित किये जायेंगे।**

(2) अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रारुप में दैनिक दुकानवार रजिस्टर अनुरक्षित करेगा तथा निर्धारित प्रारुप में प्राप्त मांग पत्रों व कुल निकासी की सामयिक विवरणी जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित करेगा। राज्य में प्रभार, जोन के अन्य जनपदों के फुटकर या थोक विक्रय अनुज्ञापियों को निकासी दिये जाने की दशा में लाइसेंसधारी उपर्युक्त विवरण की प्रति संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को **उसी दिन** प्रेषित करेगा व उसकी रसीद प्राप्त करेगा। **ऐसी सूचनाओं को एम0आई0एस0 (मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम) के माध्यम से उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग**

के वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

नियम–11, निरीक्षण–

आबकारी निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के आबकारी अधिकारी को, जब कभी वह थोक विक्रय की दुकान का निरीक्षण करे, लेखों का परीक्षण करने और मदिरा के स्टाक की जॉच करने के लिये प्रत्येक सुविधा दी जायेगी।

नियम–12, अधिकतम थोक विक्रय मूल्य–

आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से विदेशी मदिर, बीयर, **वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय** की बोतलों/**केन्स/टेट्रापैक्स** के अधिकतम थोक विक्रय मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। अनुज्ञापी फुटकर विक्रेताओं से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य वसूल नहीं करेगा, **अन्यथा वह दण्डनीय होगा।**

नियम–13, अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का उत्तरदायित्व–

थोक विक्रेता अनुज्ञापी स्वंय या उसके विक्रेता द्वारा **तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक माध्यम से** लेखों, पंजिकाओं और अभिलेखों में की गयी प्रविष्टियों की शुद्वता व प्रमाणिकता के लिये अनुज्ञापी पूर्णतः उत्तरदायी होगा और वह त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के कारण हुई राजस्व की हानि की भरपाई के लिये उत्तरदायी होगा। **अनुज्ञापी अभिलेखों की प्रविष्टियों को मिटाने के लिये अधिलेखन और सुधारात्मक द्रव्य का प्रयोग नहीं करेगा।**

नियम–14, मदिरा का संचय व निषेध–

(**क**) थोक अनुज्ञापी विक्रेता **विदेशी मदिरा, बीयर और कम तीब्रता के मादक पेय** का संचय अनुमोदित परिसर में ही होगा।

(ख) थोक विक्रय अनुज्ञापी को मदिरा को तनु ब्लेंड या रंजित करने अथवा कोई रंजक, सुगंध या **कोड जनित करने वाले यन्त्र** अपने अनुज्ञापित परिसर में रखने की अनुमति नहीं है।

(ग) लाइसेंस का संचालन स्वयं अनुज्ञापी द्वारा अथवा अपने अधिकृत विक्रेता के माध्यम से किया जायेगा तथा अनुज्ञापी को अनुज्ञापन को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने या पट्टे पर देने की अनुमति नहीं होगी। अनुज्ञापी के अधिकृत विक्रेता द्वारा इस नियमावली के उल्लंघन अथवा अनियमितता के लिए लाइसेंसधारी उत्तरदायी होगा।

(घ) **अनुज्ञापी अपने गोदाम परिसर में कम्प्यूटर स्थापित करेगा और विहित प्रारूपों में समेकित सूचना संकलित करेगा एवं आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर इसे अपलोड करेगा।**

नियम–15, निलम्बन, निरस्तीकरण और शास्तियॉ–

(1) लाइसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापन को निलम्बित या निरस्त कर सकता है और प्रतिभूति की धनराशि का समपहरण कर सकता है–

- **(क)** यदि अनुज्ञापित परिसर में विदेशी मदिरा, वाइन, बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की कोई ऐसी बोतल/**केन/टेट्रापैक** पाई जाय, जिस पर प्रतिफल शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर प्रतिफल फीस के भुगतान के प्रमाणस्वरुप आबकारी **विभाग** द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित **सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड** नहीं लगा है।
- **(ख)** यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि पाई जाती है जिसके लिये कोई अनुज्ञापन प्रदान नहीं किया गया है,
- **(ग)** यदि लाइसेंसधारी **विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीब्रता के मादक पेय** के फुटकर विक्रेताओं से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करता है,
- **(घ)** यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई अनधिकृत **कोड जनित करने वाले यन्त्र** स्प्रिट, रंग, एसेन्स आदि पाया जाता है,
- **(ड.)** यदि अनुज्ञापी द्वारा अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण अथवा कपटपूर्ण प्रविष्टियॉ की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई है।
- **(च)** यदि यह सिद्ध होता है कि थोक लाइसेंस को शिकमी किरायेदारी पर दिया गया है।

(छ) यदि अधिनियम व नियमों के उपबन्धों के विरूद्ध अनुज्ञापी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है,

(ज) यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन करने के समय प्रस्तुत शपथ पत्र या आवेदन में किया गया कथन त्रुटिपूर्ण, असत्य अथवा भ्रामक पाया जाता है,

(झ) यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञापन फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या अनुज्ञापी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अनुज्ञापन धारण किये हुये है।

(ट) यदि अनुज्ञापी लाइसेंस फार्म में उल्लिखित शर्तों में से किसी का उल्लंघन करता है ।

(2) उपखण्ड–1 में उल्लिखित अनियमिततायें पाये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस निलम्बन/निरस्तीकरण और प्रतिभूति धनराशि के समपहरण हेतु कारण बताओ नोटिस **एव अनुज्ञाप्तिधारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर** उचित कार्यवाही करेगा। **तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी उपयुक्त आदेश जैसा वह ठीक समझे पारित करेगा।**

(3) लाइसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापी **के निमित्त** उसके द्वारा अथवा उसके विक्रेता द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियॉ अथवा अनियमितताओं के फलस्वरूप हुई राजस्व की हानि की वसूली भी करेगा।

नियम–16, विखण्डन एवं अपवाद–

(1) समय–समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा थोक का विक्रय) (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2001 तथा विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के संबंध में अन्य सभी नियमों का एतद्द्वारा विखण्डन किया जाता है।

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट नियम के उपबन्धों के अधीन विदेशी मदिरा या बियर के थोक विक्रय अनज्ञापन के लिए वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए पहले से निष्पादित व्यवस्थापन 31 मार्च, 2002 तक के लिए विधिमान्य होंगे और प्रवर्तन में बने रहेंगे।

एफ.एल.–1

केवल विदेशी शराब के लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को अपने द्वारा निर्मित (विकृत स्प्रिट से भिन्न) विदेशी शराब, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिए निर्माता का लाइसेंस

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो

एफ0एल0–1 गोदाम का फोटो

एफ0एल0–1 गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....................................
1–लाइसेंस संख्या.........................
2–जनपद...............................

3–अनुज्ञापियों के नाम, पूरे पते और आधार नम्बर.........................

रजिस्टर संख्या...

लाइसेंस की स्थिति तथा स्थान ....

पूरब.. पश्चिम...

उत्तर.. दक्षिण...

विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी शराब, **बियर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0)** की थोक बिक्रय के लिये एतदद्वारा.... .... को ....से ....

तक के लिये ....जिला में ....पर निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन, अनुज्ञप्ति, जिसके लिए **..रु0** अग्रिम में जमा कर दिया गया है, प्रदान की जाती है, जिनमें से किसी का उल्लंघन या आबकारी, अफीम या अनिष्टकर मादक द्रब्य विधियों के अधीन किसी अपराध को दोषसिद्वि उक्त निधियों के अधीन अधिरोपित किसी दण्ड के अतिरिक्त उसकी अनुज्ञप्ति तथा अग्रिम में संदत्त अनुज्ञप्ति फीस व प्रतिभूति धनराशि के समपहरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी को दायी बना देगा ।

शर्तें

1. विक्रय केवल अनुज्ञप्त परिसरों में किया जायेगा, देशी शराब को उन्हीं परिसरों में नहीं रखा जायेगा और यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विशिष्ट विदेशी ब्रांड के विक्रय को हानिकर होने के कारण प्रतिषिद्ध कर दिया है, तो उस ब्राण्ड को इस अनुज्ञप्ति के अधीन रखा तथा विक्रय नहीं किया जायेगा ।
2. लाइसेंसधारी परिसर में अपनी दुकान सें संबंधित **विदेशी शराब, बीयर, वाइन और कम तीब्रता के मादक पेय** के अपने सभी स्टाक का भण्डारण करेगा, जिसके लिए वह इस लाइसेंस को धारण करता है ।
3. लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय को संपादित करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञा नही देगा, यदि ऐसे व्यक्ति का नाम अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त के समक्ष पहले पेश नहीं किया गया है और उसके द्वारा लाइसेंस पर पृष्ठांकित नहीं किया गया है।
4. किसी भी ब्रांड की **विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीब्रता के मादक पेय (बोतल/केन/टेट्रा पैक) की एक या एक से अधिक सील्ड पेटियों में** ही विकी की जायेगी ।

<u>टिप्पणीः–</u> विक्रय की गई प्रत्येक प्रकार की मदिरा की न्यूनतम मात्रा सम्बन्धी नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

5. विदेशी मदिरा, **बीयर, वाइन और कम तीब्रता के मादक पेय** के विक्रय की अनुमति सिवाय आबकारी आयुक्त द्वारा विहित बोतलों**/केन्स/टेट्रापैक्स** के नहीं दी जायेगी ।
6. केवल विदेशी शराब/**बीयर/वाइन/कम तीब्रता के मादक पेय** के लाइसेंसधारी थोक बिकेताओं को विक्रय किया जायेगा ।
7. सिवाय आबकारी आयुक्त के विशेष आदेशों के अधीन व्हिस्की, ब्रांडी तथा रम की विक्रय सुरा शक्ति 42.8 प्रतिशत वी/वी से कम नहीं होगी और जिन की सुराशक्ति 37 प्रतिशत वी./वी. से कम नहीं होगी ।

<u>टिप्पणीः–</u> बोतल के लेबुल पर दर्शायी गई व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व ड्राई जिन की तीव्रता के अनुसार ही विक्रय की जायेगी।

8– अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्राता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्रा दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी किया–कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

9. बोतलों में भरने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक रूप से दिये गये लाइसेंस के सिवाय विदेशी शराब, **बीयर, वाइन और कम तीब्रता के मादक पेय** को बोतलों में भरना प्रतिषिद्ध है ।
10. आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृति के सिवाय विदेशी शराब, **बीयर, वाइन और कम तीब्रता के मादक पेय** का मिश्रण करना प्रतिषिद्ध है ।
11. शराब में कोई औषधि द्रब्य या घातक तत्व नहीं मिलाया जायेगा ।
12. इस अनुज्ञप्ति द्वारा आच्छादित कारोबार को उप पटटा पर नहीं दिया जायेगा या अन्तरित नहीं किया जायेगा ।
13. दुकान के प्रवेश द्वार पर **आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित** सूचना पट्ट लगाया जायेगा, जिस पर विक्रेता का नाम तथा अनुज्ञप्त थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने के प्राधिकृत विदेशी शराब का अनुज्ञप्त थोक विक्रेता का स्पष्ट उल्लेख अंकित किया जायेगा। **साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को भी प्रदर्शित करना होगा:–**
    ''अनुज्ञप्त परिसर के बाहर आस–पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।''
14. **लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (प्रपत्र वि0म0–25) में, ऐसे अदायगी पर कलेक्ट्रेट के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा,** नियमित तथा यथार्थ लेख रखेगा और उन्हें पेश करने की मांग करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी की अध्यपेक्षा पर निरीक्षण के लिए उसे पेश करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के बाद दस दिनों से पहले कलेक्टर को इस अनुज्ञप्ति के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के संव्यवहार को दर्शित करते हुये शुद्व सार तथा ऐसा अन्य विवरण, जो समय–समय पर अपेक्षित किया जाये, प्रदान करेगा ।
15. थोक विक्रय परिसर से विदेशी शराब का परिवहन एफ.एल.–36 पार पत्र द्वारा आच्छादित किया जायेगा, जिसे थोक विक्रय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा **कम्प्यूटर जनित तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा,** जो अभिलेख के लिए उसकी एक प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा

और दूसरी प्रतिलिपि क्रेता को तथा तीसरी प्रतिलिपि सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा । **पार–पत्र की वैधता की अवधि, गंतव्य स्थान पहुंचने में लगने वाले समय के दुगने से कम होगी।**

16. अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में किसी प्रयोजन के लिए किसी संक्रामक या संसर्गज रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा।

17. अनुज्ञप्तिधारी शराब के लिए वस्तु विनिमय में कोई वस्तु नहीं प्राप्त करेगा बल्कि **अधिमानतः ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से** धन प्राप्त करेगा ।

18. उत्तर प्रदेश में निर्मित **शुल्क संदत्त भारत निर्मित विदेशी शराब, बीयर, वाइन और कम तीब्रता के मादक पेय का भारत के किसी भाग में निर्यात निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा:—**

(क) निर्यातकर्ता आयात को प्राधिकृत करने वाला अनुमति–पत्र जो आयातक राज्य के मुख्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा या इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, आयातकर्ता से प्राप्त करेगा।

(ख) अनुमति–पत्र में विनिर्दिष्ट होगा–

(i) आयात करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या फर्म का नाम पता,

(ii) आयात की जाने वाली विदेशी शराब, **बीयर, वाइन और कम तीब्रता के मादक पेय** का विवरण तथा मात्रा,

(iii) आयातक राज्य में प्रभार्य शुल्क की दर तथा यह तथ्य कि भारत में निर्मित विदेशी शराब, **बीयर, वाइन और कम तीब्रता के मादक पेय** का आयात उस राज्य में किया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश राज्य ने बुक अन्तरण द्वारा शुल्क के समायोजन के लिए पारस्परिक व्यवस्था किया है ।

(iv) आयातक राज्य में प्रभारित शुल्क की **दर** तथा यह तथ्य, कि इसे खण्ड (iii) द्वारा आच्छादित आयात के मामलों के सिवाय अन्य मामलों में अग्रिम वसूल कर लिया गया है।

(ग) अनुमति–पत्र प्राप्त करने पर, निर्यातकर्ता कोषागार में जमा करेगा–

(i) जहॉ राज्य में किया गया निर्यात उक्त खण्ड (ख) (ii) द्वारा आच्छादित है, और आयातक राज्य में शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त शुल्क की दर से उच्च है, वहॉ निर्यात की जाने वाली शराब की कुल मात्रा पर निर्यात शुल्क के साथ उत्तर प्रदेश में संदेय शुल्क तथा निर्यातक राज्य में संदेय शुल्क में अन्तर को,

(ii) यदि उक्त खण्ड (ख) (iii) द्वारा आच्छादित आयातक राज्य शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त शुल्क की दर के समान है, तो निर्यात शुल्क को ।

(घ) अनुमति पत्र तथा कोषागार रसीद प्राप्त करने पर, थोक विक्रेता प्रारूप एफ.एल.–36 में चार प्रतियों में **कम्प्यूटर जनित पास** तैयार करेगा तथा मद्य निषेधशाला के आबकारी निरीक्षक के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा । आबकारी निरीक्षक स्वयं का यह समाधान करने के बाद, कि वह सही ढंग से वसूल किया गया है, प्रारूप एफ.एल.–36 के **पास** पर अपना हस्ताक्षर करेगा । तब निर्यातकर्ता **पास** की एक प्रतिलिपि निर्यातक जिला के कलेक्टर को, एक प्रतिलिपि आयात स्थल के मुख्य राजस्व अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो इसके लिए प्राधिकृत किया जाये, को तथा एक प्रतिलिपि पारेषिती को भेजेगा और चौथी प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा । कोषागार रसीद सदैव निर्यातक जिला के कलेक्टर को भेजे गये **पास की प्रतिलिपि के साथ होगा ।**

19. लाइसेंसधारी इस लाइसेंस को ऐसे अधिकारियों द्वारा मांग किये जाने पर जो ऐसा करने के लिए यथाविधि आधिकृत हों, निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा ।

20. लाइसेंसधारी देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप का कोई फुटकर अनुज्ञापन न रखता हो ।

21. अनुज्ञापी को अनुज्ञप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0 टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके ।

22. अनुज्ञापी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ।

23. आसवनी, यवासवनी और द्राक्षासवनी से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीब्रता के मादक पेय के परेषण के लिये परिवहन हेतु जी0पी0एस0 युक्त वाहनों के माध्यम से करना अनिवार्य होगा ।

24. अनुज्ञापी अभिलेखों के अनुरक्षण और रख–रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।
25. अनुज्ञापी अपने गोदाम परिसर में कम्प्यूटर स्थापित करेगा और निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा।

दिनांक

लाइसेंसिंग प्राधिकारी

प्रपत्र विदेशी मदिरा 1–क

केवल विदेशी शराब के लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को अपने द्वारा निर्मित विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी शराब, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिए विदेशी मदिरा–3(क) के लाइसेंसधारक का लाइसेंस

आवेदक का फोटो	**सह आवेदक का फोटो**

एफ0एल0–1(क) गोदाम का फोटो

एफ0एल0–1 (क)गोदाम का अक्षांश/देशांतर.......................................

1–लाइसेंस संख्या..........................

2–जनपद................................

3–अनुज्ञापियों के नाम, पूरे पते और आधार नम्बर.........................

पंजीयन संख्या..
जिले का नाम–..

लाइसेंस की स्थिति तथा स्थान ....

पूरब.. पश्चिम...

उत्तर... दक्षिण..

विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी शराब की थोक बिक्रय के अनुज्ञापन एतदद्वारा. उपरोक्त को .... को ....प्रास्थिति.............................. जनपद ....में ....से .... तक के लिये अग्रिम अनुज्ञापन .... तथा नियम–2 (1) के अन्तर्गत प्रतिभूति ....जिला में जमा कर दिया गया है, प्रदान किया जाता है, जिनमें से किसी का उल्लंघन या आबकारी, अफीम या अनिष्टकर मादक द्रब्य विधियों के अधीन किसी अपराध को दोषसिद्वि उक्त विधियों के अधीन

अधिरोपित किसी दण्ड के अतिरिक्त उसकी अनुज्ञप्ति तथा अग्रिम में संदत्त अनुज्ञप्ति फीस के समपहरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी को दायी बना देगा ।

शर्तें

1. विक्रय केवल अनुज्ञप्त परिसरों में किया जायेगा, देशी शराब को उन्हीं परिसरों में नहीं रखा जायेगा और यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विशिष्ट विदेशी ब्रांड के विक्रय को हानिकर होने के कारण प्रतिषिद्व कर दिया है, तो उस ब्राण्ड को इस अनुज्ञप्ति के अधीन रखा तथा विक्रय नहीं किया जायेगा ।
2. लाइसेंसधारी परिसर में विदेशी मदिरा–3क से संबंधित विदेशी शराब, **बीयर, वाइन और कम तीब्रता के मादक पेय** के अपने सभी स्टाक का भण्डारण करेगा, जिसके लिए वह इस लाइसेंस को धारण करता है ।
3. लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय को संपादित करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञा नही देगा, यदि ऐसे व्यक्ति का नाम अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त के समक्ष पहले पेश नहीं किया गया है तो उसके द्वारा लाइसेंस पर पृष्ठांकित नहीं किया गया है ।
4. **किसी भी ब्राण्ड की विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय (बोतल/केन/टेट्रापैक) की एक या एक से अधिक सिल्ड पेटियों में बिकी की जायेगी ।**

   <u>टिप्पणी:–</u> विक्रय की गई प्रत्येक प्रकार की मदिरा की न्यूनतम मात्रा सम्बन्धी नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
5. **विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय** को विक्रय की अनुमति सिवाय आबकारी आयुक्त द्वारा विहित बोतलों/**केन्स/टेट्रापैक्स** के नहीं की जायेगी ।
6. निम्नलिखित मामलों में बोतलों का गारन्टीयुक्त द्रव अन्तर्वस्तु लेबिलों पर मोटे अक्षरों में स्पष्ठतः निर्दिष्ट किया जायेगा, कि शराब बोतल में भारत में भरी गयी है या विदेश में:–

   (क) व्हिस्की, ब्राण्डी या रम की क्वार्ट बोतलें, यदि उनमें ऐसी स्प्रिट 750 मि0ली0 से कम भरी है।

   (ख) जिन की क्वार्ट बोतलें, यदि उनमें 750 मि0ली0 से कम जिन भरी है।

   (ग) जिन की प्वाइंट बोतलें यदि 375 मि0ली0 से कम जिन भरी है।

   (घ) व्हिस्की ब्राण्डी या रम की निप बोतलें यदि उनमें 180 मि0ली0 स्प्रिट भरी है।
7. केवल **विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय** के लाइसेंसधारी थोक बिक्रेताओं को विक्रय किया जायेगा।

<u>टिप्पणी:–</u> केवल लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को विक्रय करने का प्रतिबंध विदेशी मदिरा–3क द्वारा सैनिकों तथा कैन्टीन टेनेन्ट लाइसेंसधारियों को विक्रय के लिए लागू नहीं होता हैं।

8. सिवाय आबकारी आयुक्त के विशेष आदेशों के अधीन व्हिस्की, ब्रांडी तथा रम की विक्रय सुरा शक्ति 42.8 प्रतिशत वी/वी से कम नहीं होगी और जिन की सुराशक्ति 37 प्रतिशत वी./वी. से कम नहीं होगी ।

9– अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्राता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्रा दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलााधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया–कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

10- बोतलों में भरने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक रूप से दिये गये लाइसेंस के सिवाय **विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय** को बोतलों में भरना प्रतिषिद्व है ।

11. आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृति के सिवाय **विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय** का मिश्रण करना प्रतिषिद्व है ।

12. शराब में कोई औषधि द्रब्य या घातक तत्व नहीं मिलाया जायेगा ।

13- इस अनुज्ञप्ति द्वारा आच्छादित कारोबार को उप पटटा पर नहीं दिया जायेगा या अन्तरित नहीं किया जायेगा ।

14. दुकान के प्रवेश द्वार पर **आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित** सूचना पट्ट लगाया जायेगा, जिस पर विक्रेता का नाम तथा अनुज्ञप्त थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने के प्राधिकृत विदेशी शराब का अनुज्ञप्त थोक विक्रेता का स्पष्ट उल्लेख अंकित किया जायेगा। **साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को भी प्रदर्शित करना होगा:–**

"अनुज्ञप्त परिसर के बाहर आस–पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"

15. **लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (प्रपत्र वि0म0–25)** में **ऐसे अदायगी पर कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा तथा** नियमित एवं यथार्थ लेख रखेगा **जो कलेक्टर के कार्यालय से भुगतान पर प्राप्त किया गया हो,** और उन्हें पेश करने की मांग करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी की अध्यपेक्षा पर निरीक्षण के लिए उसे पेश करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के बाद दस दिनों से पहले कलेक्टर को इस अनुज्ञप्ति के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के संव्यवहार को दर्शित करते हुये शुद्व सार तथा ऐसा अन्य विवरण, जो समय–समय पर अपेक्षित किया जाये, प्रदान करेगा **तथा जिसे उत्तर प्रदेश आबकारी की वेबसाइट पर आनलाईन अपलोड किया जायेगा।**

16. थोक विक्रय परिसर से विदेशी शराब का परिवहन **कम्प्यूटर जनित एफ.एल.–36 पास द्वारा आच्छादित किया जायेगा,** जिसे थोक विक्रय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जो अभिलेख के लिए उसकी एक प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा और दूसरी प्रतिलिपि क्रेता को तथा तीसरी प्रतिलिपि सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा। **पार–पत्र की वैधता की अवधि, गंतव्य स्थान पहुंचने में लगने वाले समय के दुगने से कम होगी।**

17. अनुप्तिधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में किसी प्रयोजन के लिए किसी संक्रामक या संसर्गज रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा।

18. अनुज्ञप्तिधारी शराब के लिए वस्तु विनिमय में कोई वस्तु नहीं प्राप्त करेगा बल्कि **ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से धन प्राप्त करेगा ।**

19. उत्तर प्रदेश में निर्मित भारत निर्मित **विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय** का शुल्क संदत्त समस्त निर्यात निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा।

(क) निर्यातकर्ता आयात को प्राधिकृत करने वाला अनुमति–पत्र जो आयातक राज्य के मुख्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा या इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, आयातकर्ता से प्राप्त करेगा ।

(ख) अनुमति–पत्र में विनिर्दिष्ट होगा–

(i) आयात करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या फर्म का नाम पता,

(ii) आयात की जाने वाली **विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय** का विवरण तथा मात्रा,

(iii) आयातक राज्य में प्रभार्य शुल्क की दर तथा यह तथ्य कि भारत में निर्मित **विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय** का आयात उस राज्य में किया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश राज्य ने बुक अन्तरण द्वारा शुल्क के समायोजन के लिए पारस्परिक व्यवस्था किया है ।

(iv) आयातक राज्य में प्रभारित शुल्क की तिथि तथा यह तथ्य, कि इसे खण्ड (iii) द्वारा आच्छादित आयात के मामलों के सिवाय अन्य मामलों में अग्रिम वसूल कर लिया गया है।

(ग) अनुमति–पत्र प्राप्त करने पर, निर्यातकर्ता कोषागार में जमा करेगा–

(i) जहॉ राज्य में किया गया निर्यात उक्त खण्ड (ख) (ii) द्वारा आच्छादित है, और आयातक राज्य में शुल्क की

दर उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त शुल्क की दर से उच्च है, वहाँ निर्यात की जाने वाली शराब की कुल मात्रा पर निर्यात शुल्क के साथ उत्तर प्रदेश में संदेय शुल्क तथा निर्यातक राज्य में संदेय शुल्क में अन्तर को,

(ii) यदि उक्त खण्ड (ख) (iii) द्वारा आच्छादित आयातक राज्य शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त शुल्क की दर के समान है, तो निर्यात शुल्क को ।

(घ) अनुमति पत्र तथा कोषागार रसीद प्राप्त करने पर, थोक विक्रेता **कम्प्यूटर जनित एफ.एल.–36 पास चार प्रतियों मे तैयार करेगा** तथा मद्य निर्माणशाला के आबकारी निरीक्षक के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा । आबकारी निरीक्षक स्वयं का यह समाधान करने के बाद, कि वह सही ढंग से वसूल किया गया है, प्रारूप **एफ.एल.–36** के **पास** पर अपना हस्ताक्षर करेगा । तब निर्यातकर्ता **पास** की एक प्रतिलिपि निर्यातक जिला के कलेक्टर की, एक प्रतिलिपि आयात स्थल के मुख्य राजस्व अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो इसके लिए प्राधिकृत किया जाये, को तथा एक प्रतिलिपि पारेषिती को भेजेगा और चौथी प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा । कोषागार रसीद सदैव निर्यातक जिला के कलेक्टर को भेजे गये **पास** को प्रतिलिपि के साथ होगा ।

20. लाइसेंसधारी देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप का कोई फुटकर अनुज्ञापन न रखता हो ।

21. अनुज्ञापी को अनुज्ञप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0 टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके ।

22. अनुज्ञापी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ।

23. आसवनी, यवासवनी और द्राक्षासवनी से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के परेषण के लिये परिवहन हेतु जी0पी0एस0 युक्त वाहनों के माध्यम से करना अनिवार्य होगा ।

24. अनुज्ञापी अभिलेखों के अनुश्रवण और रख–रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।

25. अनुज्ञापी अपने गोदाम परिसर में कम्प्यूटर स्थापित करेगा निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा।

जिला..................
दिनांक.......................

लाइसेंस प्राधिकारी

<u>विदेशी मदिरा–2</u>
<u>विदेशी मदिरा व वाइन की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस</u>
<u>देखें नियम–6 (क)</u>

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो

एफ0एल0–2 गोदाम का फोटो

एफ0एल0–2 गोदाम का अक्षांश/देशांतर......................................

1–लाइसेंस संख्या..........................

2–जनपद...............................

3– **अनुज्ञापियों के नाम, पूरा पता और उनके आधार नम्बर**................
.(i) ....
(ii) ....
लाइसेंस फीस रु0 (अंकों में) ....(शब्दों में)....................
प्रतिभूति धनराशि रु0 (अंकों में)......................... (शब्दों में).............

अनुज्ञप्त परिसर का विवरण
स्थान और मकान संख्या.....................
पुलिस थाना......................................तहसील.............................

चौहद्दी–
उत्तर– .... दक्षिण– ....

पूरब– .... पश्चिम– ....

विक्रेताओं के नाम, पिता का नाम और पते
1. .... पुत्र..निवासी..........................
2. .... पुत्र..निवासी..........................
3. .... पुत्र..निवासी..........................
4. .... पुत्र..निवासी..........................

मानक क्वार्ट बोतलों 2000 मि0ली0, 1000 मि0ली0, 750 मि0ली0, 500 मि0ली0,375 मि0ली0, पौवा 180मि0ली0, 90मि0ली0 **(प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों में)** और 60 मि0ली. **(केवल स्काच) में** विदेशी मदिरा व वाइन की बिक्री के लिये **लाइसेंस** एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को, जनपद**...................** के अन्तर्गत.................................(स्थान)पुलिस.थाना................................तहसील..................................... के लिये दिनांक............. से.....................तक के लिये, जिसके लिये नियम 6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह अनुज्ञापन निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तो के अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली–2002 (यथासंशोधित) के नियम–15 में अनुज्ञापनों के निरस्तीकरण हेतु उपबंधित प्राविधानों की सीमा में आने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोषसिद्व होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस हेतु अग्रिम रुप से प्रदत्त अनुज्ञापन शुल्क और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये उत्तरदायी होगा।

निबंधन और शर्तें

1– लाइसेंसधारी, निर्धारित धारिता की बोतलों/**टेट्रापैक्स** में विदेशी मदिरा एवं वाइन आबकारी **विभाग** द्वारा अनुमोदित **सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड** लगा हुआ, आसवनियों, द्राक्षासवनियों से, जो विदेशी मदिरा एवं वाइन का निर्माण करती है, या अन्य थोक विदेशी मदिरा अनुज्ञापनों से विशेषाधिकार फीस (प्रतिफल फीस) व समय–समय पर उद्ग्रहणीय समस्त करों/शुल्कों **(अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित),** उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा एवं वाइन की कीमत का पूर्ण भुगतान **ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से** करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।

2– लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा एवं वाइन **जिसमें** समस्त **उद्ग्रहण/कर** शुल्कों आदि सम्मिलित **है** की कीमत को **ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान** करने के पश्चात् **बी0डब्लू0एफ0एल0–2ए और बी0डब्लू0एफ0एल0–2सी से विदेशी मदिरा और वाइन की आपूर्ति करेगा।**

3– विदेशी मदिरा **एवं वाइन** की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। थोक विक्रय लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य फुटकर बिक्रेताओं से नहीं वसूलेगा। **यदि वह ऐसा करता है तो उस पर दण्ड का आरोपण किया जायेगा।**

4– **किसी भी ब्राण्ड की विदेशी मदिरा एवं वाइन (बोतल/टेट्रापैक) की एक या एक से अधिक सील्ड पेटियों में ही बिक्री की जायेगी।**

5– **लाइसेंसधारी** विहित **प्रपत्र एवं** रजिस्टर (एफ0एल0–25ए) में नियमित और सही–सही दैनिक हिसाब रखेगा जो **लाइसेंस प्राधिकारी से भुगतान पर प्राप्त किया गया हो,** और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा

और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा **जिसे उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट पर एम0आई0एस0 के माध्यम से निश्चित समयान्तराल पर अपलोड किया जायेगा।**

6– अनुज्ञापित थोक परिसर से विदेशी मदिरा, वाइन व समुद्रपार से आयातित **मदिरा** का परिवहन **कम्प्यूटर जनित प्रपत्र एफ0एल0–36 पास द्वारा आच्छादित होगा।** पास पर केवल **जिला आबकारी अधिकारी** द्वारा अनुमोदित **अधिकृत बिक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि अथवा अनुज्ञापी** ही हस्ताक्षर करेगा, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगें। पास की प्रथम प्रति क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी तथा तीसरी प्रति थोक विक्रेता अपने पास अभिलेखार्थ रखेगा। **परिवहन पास पर थोक विक्रेता द्वारा बैच नम्बर, निकासी की तिथि, मात्रा तथा सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड का अंकन किया जायेगा।** पास की बैधता अवधि गन्तब्य पर पहुंचने में लगने वाले समय के दुगने से कम रहेगी।

7– लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दुकानवार दैनिक लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रुप में मांग पत्रों और कुल निकासी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति पर जोन/प्रभार या अन्य जिलों के फुटकर अनुज्ञापियों को दी गई निकासी की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को **उसी दिन उपलब्ध कराकर उसकी रसीद प्राप्त की जायेगी तथा उसको आबकारी विभाग की विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।**

8– लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा एव वाइन की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।

9– लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर **आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित** एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञप्ति धारक थोक विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी। **साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः–**

"अनुज्ञप्त परिसर के बाहर आस–पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"

10– लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रुप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ –छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ–भूमि का हो या महिला हो। **लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अधिकृत बिक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

11– वि0म0–2 लाइसेंसधारी सम्बन्धित जनपद के भीतर लाइसेंस प्राप्त फुटकर विक्रेताओं को विदेशी मदिरा एवं वाइन बेचेगा। लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा एवं वाइन की बिक्री एफ0एल0–6 समिश्र, एफ0एल0–6क समिश्र, एफ0एल0–7, एफ0एल0–7ख या एफ0एल0–7ग (क्लब बार लाइसेंस) में बार लाइसेंस धारण करने वाले को प्रभार के अन्दर बिक्री कर सकता है, किन्तु आबकारी आयुक्त की अनुमति पर निर्धारित प्रक्रियानुसार अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करके अन्य जनपदों के फुटकर अनुज्ञापियों तथा प्रभार के बाहर के उपरोक्त इंगित बार अनुज्ञापनों को भी विक्रय कर सकेगा।

12– लाइसेंसधारी के लिए किसी भी दशा में 2000 मि0ली, 1000 मि0ली0, 750 मि0ली0, 500 मि0ली0, 375 मि0ली0, 330 मि0ली0, 325 मि0ली0, 300 मि0ली0, 275 मि0ली0,1 180मि0ली0 एवं 90 मि.ली. **(प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणी)** और 60 मि0ली. **(केवल स्काच) के बोतलों में** विदेशी मदिरा व वाइन की बिक्री की जायेगी। उक्त बोतलों **के लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड,** श्रिंक स्लीव, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों से बिगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।

13– लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि, **कोड निर्मित करने वाला यन्त्र,** श्रिंक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।

14– **परिसर** को अनुज्ञापी /सेल्समैन **और उसके परिवार** के अलावा अन्य के द्वारा आवासीय प्रयोग हेतु नहीं लाया जायेगा।

15– अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी किया–कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

16– विदेशी मदिरा, वाइन व समुद्रपार से आयातित मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

परन्तु यदि अनुज्ञापी के पक्ष में एफ0एल–2बी अनुज्ञापन भी स्वीकृत है, तो ऐसे अनुज्ञापन का संचालन इस परिसर में हो सकेगा।

17– अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा।

18– थोक विक्रेता बिक्री हेतु उचित मात्रा में समस्त लोकप्रिय ब्राण्डों को रखेगा।

19– अनुज्ञापी को अनुज्ञप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य

होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके।

20– अनुज्ञापी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ।

21– बंधाधीन गोदामो बी0डब्लू0एफ0एल0–2ए/बी0डब्लू0एफ0एल0–2सी के साथ आसवनियों और द्राक्षासवनियों से विदेशी मदिरा एवं वाइन के परेषण के परिवहन हेतु जी0पी0एस0 प्रणाली युक्त वाहनों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

22– लाइसेंसधारी देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप का कोई फुटकर अनज्ञापन धारण नहीं करेगा ।

23– अनुज्ञापी अभिलेखों के अनुरक्षण और रख–रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।

24– अनुज्ञापी अपने गोदाम परिसर में कम्प्यूटर स्थापित करेगा और निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा।

दिनांकः..................

स्थान.....................

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

विदेशी मदिरा–2क

लाइसेंस प्राप्त सैनिक थोक और फुटकर बिक्रेताओं को विदेशी मदिरा,बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (विकृत स्प्रिट से भिन्न) की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो

एफ0एल0–2(क) गोदाम का फोटो

एफ0एल0–2 (क)गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....................................

1–लाइसेंस संख्या.........................

2–जनपद...............................

3–अनुज्ञापियों के नाम, पूरे पते और आधार नम्बर........................

पंजीयन संख्या..

जिले का नाम–...

लाइसेंस की स्थिति तथा स्थान ....

पूरब.. पश्चिम..

उत्तर.. दक्षिण..

विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी शराब की थोक बिक्री का लाइसेंस.. को .... को जनपद..में ....से ....तक ....स्वीकृत किया जाता है, जिनमें से किसी एक का भी व्यतिक्रम किये जाने अथवा आबकारी, अफीम या अनिष्टकर औषधि द्रव्य विधियों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्व होने पर लाइसेंसधारी पर उक्त विधियों के अधीन आरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त

उसके लाइसेंस तथा लाइसेंस के लिये अग्रिम रुप से भुगतान की गयी लाइसेंस फीस का समपहरण किया जा सकेगा।

शर्ते

1– लाइसेंसधारी, निर्धारित धारिता की बोतलों/**केन्स/टेट्रापैक** में विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय आबकारी **विभाग** द्वारा अनुमोदित **सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड** लगा हुआ, आसवनियों, यवासवनियों, द्राक्षासवनियों से, जो विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का निर्माण करती है, या अन्य थोक विदेशी मदिरा, बीयर या वाइन के बन्धाधीन गोदाम से विशेषाधिकारी फीस (प्रतिफल फीस) व समय–समय पर उद्ग्रहणीय समस्त करों/शुल्कों, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की **कीमत ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से** पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।

2– बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त परिसरों में की जायेगी। उसी परिसर में देशी स्प्रिट नहीं रखी जायेगी और यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विशेष विदेशी किस्म की शराब की बिक्री का अस्वास्थ्यकर होने के कारण प्रतिषेध किया तो इस लाइसेंस के अधीन उस किस्म की शराब नहीं रखी जायेगी, तथा उसकी बिक्री नहीं की जायेगी।

3– लाइसेंसधारी अपनी दुकान से संबंधित विदेशी मदिरा**/बीयर/वाइन/कम तीव्रता की मादक पेय** का अपना समस्त स्टाक ऐसे परिसर में रखेगा, जिसके लिए उसके पास लाइसेंस हो।

4– **किसी भी ब्राण्ड की विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय (बोतल/केन/टेट्रापैक) की बिक्री एक या एक से अधिक सील्ड पेटियों में ही की जायेगी।**

टिप्पणी:– **बिक्री** की गयी प्रत्येक किस्म की शराब की दशा में न्यूनतम सीमा का निश्चित रुप से अनुपालन किया जाना चाहिए।

5– भारत में निर्मित ब्राण्डी, व्हिस्की, जिन तथा रम की बिक्री 750 एम0एल0, 600 एम0एल0, 500 एम0एल0, 375एम0एल0, 300एम0एल0, 250 एम0एल0 एवं 180एम0एल0 की धारिता की बोतलों/**टेट्रापैक्स** के अलावा नहीं की जायेगी।

6– बोतलों में प्रत्याभूत तरल द्रब्य लेबुल पर मोटे अक्षरों में स्पष्ट रुप से उपदर्शित किया जायेगा चाहे बोतलों/**टेट्रापैक्स** में शराब भारत में या विदेश में भरी जाय।

7– ब्राण्डी, व्हिस्की, तथा रम की बिक्रय सुराशक्ति 42.8 प्रतिशत वी/वी से कम नहीं होगी तथा जिन 37 प्रतिशत वी/वी से कम न होगी। सिवाय आबकारी आयुक्त के विशेष आदेशों के अधीन, स्प्रिट की सुराशक्ति में कमी करना प्रतिषिद्ध है।

टिप्पणी:– ब्राण्डी, व्हिस्की, रम तथा जिन के लिए विहित विक्रय सुराशक्ति द्रव्य घनत्व मापी द्वारा उपदर्शित प्रत्यक्ष सुराशक्ति होती है, किन्तु सीलबन्द या ढक्कनवाली बोतलों/**टेट्रापैक्स** में स्प्रिट की दशा में विहित न्यूनतम 1.0% तक की कमी की गुजाइंश की अनुमति है।

8– बोतलों में बन्द करने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक रुप से दिये गये लाइसेंस के सिवाय विदेशी **मदिरा,बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय** को बोतलों मे बन्द करना प्रतिषिद्ध है।

9– आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृत के सिवाय **विदेशी मदिरा,बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय** का मिश्रण करना प्रतिषिद्ध है।

10– शराब में कोई औषधि द्रब्य या घातक तत्व नहीं मिलाया जायेगा।

11– होली जलने के अगले दिन और मुख्य दीवाली के दिन कोई बिक्री नहीं की जायेगी।

12– अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया–कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

13– इस लाइसेंस के अधीन किया जाने वाला व्यापार को उप पट्टे पर नहीं उठाया जायेगा और उसका अन्तरण नहीं

किया जायेगा।

14– दुकान के प्रवेश द्वार पर **आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित** एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिस पर बिक्रेता का नाम और लाइसेंस प्राप्त थोक तथा फुटकर बिक्रेताओं को और प्रमाणिक क्लबों तथा भोजनालयों को बिक्री के लिए प्राधिकृत विदेशी शराब का लाइसेंस प्राप्त थोक बिक्रेता का पदनाम लिखा जायेगा। **साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:–**

"अनुज्ञप्त परिसर के बाहर आस–पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"

15– लाइसेंसधारी विहित **प्रपत्र एवं रजिस्टर में,** जो भुगतान करने पर कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त होगा, नियमित तथा सही लेखा रखेगा, और उसे सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसे प्रस्तुत करने की मांग की अपेक्षा किये जाने पर परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा, और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 10 दिन के भीतर कलेक्टर को एक शुद्व अद्धरण जिसमें इस लाइसेंस के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष में किया गया व्यापार दिखाया गया हो और ऐसी अन्य विवरणियॉ प्रस्तुत करेगा, जिनकी समय–समय पर अपेक्षा की जाय **और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी की वेबसाइट पर आनलाईन अपलोड किया जायेगा।**

16– थोक परिसर से विदेशी शराब का **कम्प्यूटर जनित एफ0एल0–36 पास के अधीन किया जायेगा,** जिसकी तीन प्रतियां थोक लाइसेंसधारी द्वारा तैयार की जायेंगी, जो उसकी एक प्रति अभिलेख के लिए अपने पास रखेगा, और दूसरी प्रति क्रेता को और तीसरी प्रति संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को जारी करेगा। पास की विधि मान्यता की अवधि एक माह से अधिक न होगी।

17– लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी व्यक्ति को बिक्री करने की अनुमति तब तक नही देगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति का नाम पहले ही कलेक्टर को अनुमोदन और लाइसेंस में उनके द्वारा पृष्ठांकित किये जाने के लिए प्रस्तुत न किया गया हो।

18– अनुज्ञापी किसी भी व्यक्ति को, जो किसी संक्रामक अथवा छूआछूत रोग से पीड़ित हो, अपने अनुज्ञापन परिसर में नियुक्त नहीं करेगा।

19– अनुज्ञप्तिधारी शराब के लिए वस्तु विनिमय में कोई वस्तु नहीं प्राप्त करेगा बल्कि **ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से धन प्राप्त करेगा ।**

20- यदि लाइसेंसधारी भारत निर्मित विदेशी मदिरा का निर्माता है **तो वह भारत के किसी भाग में भारत निर्मित विदेशी मदिरा** का शुल्क संदत्त निर्यात निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा।

(क) निर्यातकर्ता आयात को प्राधिकृत करने वाला अनुमति–पत्र जो आयातक राज्य के मुख्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा या इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, आयातकर्ता से प्राप्त करेगा। **अनुमति–पत्र में विनिर्दिष्ट होगा–**

(i) आयात करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या फर्म का नाम पता,

(ii) आयात की जाने वाली विदेशी शराब,**बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय** का विवरण तथा मात्रा,

(iii) आयातक राज्य में प्रभार्य शुल्क की दर तथा यह तथ्य कि भारत में निर्मित **विदेशी शराब**, **बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय** का आयात उस राज्य में किया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश राज्य ने बुक अन्तरण द्वारा शुल्क के समायोजन के लिए पारस्परिक व्यवस्था किया है ।

(iv) आयातक राज्य में प्रभारित शुल्क की तिथि तथा यह तथ्य, कि इसे खण्ड (iii) द्वारा आच्छादित आयात के मामलों के सिवाय अन्य मामलों में अग्रिम वसूल कर लिया गया है।

(ग) अनुमति–पत्र प्राप्त करने पर, निर्यातकर्ता कोषागार में जमा करेगा–

(i) जहॉ राज्य में किया गया निर्यात उक्त खण्ड (ख) (ii) द्वारा **आच्छादित** है, और आयातक राज्य में शुल्क की दर

उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त शुल्क की दर से उच्च है, वहॉ निर्यात की जाने वाली शराब की कुल मात्रा पर निर्यात शुल्क के साथ उत्तर प्रदेश में संदेय शुल्क तथा निर्यातक राज्य में संदेय शुल्क में अन्तर को,

(ii) यदि उक्त खण्ड (ख) (iii) द्वारा **आच्छादित** आयातक राज्य शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त शुल्क की दर के समान है, तो निर्यात शुल्क को।

(घ) अनुमति पत्र तथा कोषागार रसीद प्राप्त करने पर, थोक विक्रेता **कम्प्यूटर जनित एफ.एल.–36 पास** चार प्रतियों मे तैयार करेगा तथा मद्य निर्माणशाला के आबकारी निरीक्षक के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा। आबकारी निरीक्षक स्वयं का यह समाधान करने के बाद, कि वह सही ढंग से वसूल किया गया है, प्रारूप एफ.एल.–36 के **पास** पर अपना हस्ताक्षर करेगा । तब निर्यातकर्ता **पास** की एक प्रतिलिपि निर्यातक जिला के कलेक्टर की, एक प्रतिलिपि आयात स्थल के मुख्य राजस्व अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो इसके लिए प्राधिकृत किया जाये, को तथा एक प्रतिलिपि परेषिती को भेजेगा और चौथी प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा । कोषागार रसीद सदैव निर्यातक जिला के कलेक्टर को भेजे गये **पास** को प्रतिलिपि के साथ होगा ।

21– लाइसेंसधारी इस लाइसेंस को ऐसे अधिकारियों द्वारा मांग किये जाने पर, जो ऐसा करने के लिए यथाविधि प्राधिकृत हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

22– अनुज्ञापी अभिलेखों के अनुरक्षण व रख–रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।

23– अनुज्ञापी अपने परिसर में कम्प्यूटर स्थापित करेगा और निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा।

दिनांकः...

जिला..

लाइसेंस प्राधिकारी

विदेशी मदिरा–2(ख)
बियर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस
देखें नियम–6 (क)

आवेदक का फोटो	**सह आवेदक का फोटो**

एफ0एल0–2 (ख)गोदाम का फोटो

एफ0एल0–2(ख) गोदाम का अक्षांश/देशांतर.......................................

1–लाइसेंस संख्या...........................

2–जनपद...............................

3– **अनुज्ञापियों के नाम, पूरा पता और उनके आधार नम्बर**.................

.(i) ....

(ii) ....
लाइसेंस फीस रु0 (अंकों में) ....(शब्दों में)....................
प्रतिभूति धनराशि रु0 (अंकों में)........................ (शब्दों में).............

अनुज्ञप्त परिसर का विवरण
स्थान और मकान संख्या.....................
पुलिस थाना.......................................तहसील.............................

चौहद्दी–

उत्तर–	दक्षिण– ....
पूरब–	पश्चिम–........................

विक्रेताओं के नाम, पिता का नाम और पते

1. .... पुत्र..निवासी..........................
2. .... पुत्र..निवासी..........................
3. .... पुत्र..निवासी..........................
4. .... पुत्र..निवासी..........................

मानक क्वार्ट बोतलों 650 मि0ली0, 500 मि0ली0, 330 मि0ली0, व 325मि0ली0 धारिता की बोतल व कैन में बीयर **तथा 1000 मि0ली0, 650 मि0ली0, 500 मि0ली0, 330 मि0ली0, 275 मि0ली0 व 180 मि0ली0 कम तीव्रता की मादक पेय** की बिक्री का लाइसेंस एतद्‌द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को, जनपद...................................... के अन्तर्गत .... (स्थान) पुलिस थाना .... तहसील...................... के लिये दिनांक .... से .... हेतु, जिसके लिये नियम 6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह अनुज्ञापन निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तो के अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोष सिद्व होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस हेतु अग्रिम रुप से प्रदत्त अनुज्ञापन शुल्क और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा।

निबंधन और शर्ते

1– लाइसेंसधारी **आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगी निर्धारित धारिता की बोतलों एवं केन्स में बीयर और कम तीव्रता के मादक पेय प्रदेश स्थित आसवनियों एवं यवासवनियों से** बोतलों **व कैन्स** में आपूर्ति समय–समय पर उद्‌गृहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस **(अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित)**, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए बीयर/**कम तीव्रता के मादक पेय** की कीमत का पूर्ण भुगतान **ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से** करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।

2– **लाइसेंसधारी वीयर और कम तीव्रता के मादक पेय जिसमें समस्त उद्‌ग्रहण/कर इत्यादि सम्मिलित है, के कीमत का तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक के माध्यम से पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी और बी0डब्लू0एफ0एल0–2डी से बीयर और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति करेगा।**

3– बीयर की बोतलों **एवं कम तीब्रता के मादक पेय** और कैन्स के लेबुलों पर अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। लाइसेंसधारी **आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित थोक मूल्य से अधिक पर** बिक्री नहीं करेगा, **अन्यथा उस पर दण्ड आरोपित किया जायेगा।**

4– किसी भी ब्राण्ड की बीयर एवं **कम तीब्रता के मादक पेय (बोतल/केन) की बिक्री एक या एक से अधिक सील्ड पेटियों में ही की जायेगी ।**

5– **लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर** (एफ0एल0–25ए) **जिसे भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है, नियमित** और सही–सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा **और जिसे उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट पर एम0आई0एस0 (मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम) के माध्यम से आनलाइन अपलोड किया जायेगा ।**

6– अनुज्ञापित थोक परिसर से बीयर एवं कम तीब्रता के मादक पेय का परिवहन **कम्प्यूटर जनित** निर्धारित **आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रपत्र** पास द्वारा आच्छादित होगा। पास की प्रथम प्रति **बीयर एवं कम तीब्रता के मादक पेय के** क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी तथा तीसरी प्रति थोक विक्रेता अपने पास अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास पर **थोक विक्रेता द्वारा बैच नम्बर, निकासी की तिथि, मात्रा, समय तथा सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड अंकित किया जायेगा।**

7– लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दुकानवार दैनिक लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रुप में मांग पत्रों और कुल निकासी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजा जायेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति पर जोन/प्रभार या अन्य जिलों के फुटकर / थोक अनुज्ञापियों को दी गई निकासी की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को **उसी दिन** उपलब्ध कराई जाये **और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की निर्दिष्ट वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायेगा।**

8– लाइसेंसधारी बीयर **एवं कम तीव्रता के मादक पेय** की मात्रा का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।

9– लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर **आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित** एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, बीयर का थोक अनुज्ञप्ति धारक थोक विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी।

साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः–

"दुकान के परिसर के बाहर आस–पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"

10– लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रुप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ –छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ–भूमि का हो **या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अधिकृत बिक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

11– **प्रपत्र** वि0म0–2ख **में** लाइसेंसधारी सम्बन्धित **जिला** के भीतर लाइसेंस प्राप्त फुटकर विक्रेताओं को बीयर **कम तीव्रता के मादक पेय** बेचेगा। लाइसेंसधारी बीयर **कम तीव्रता के मादक पेय** की बिक्री एफ0एल0–6 समिश्र, एफ0एल0–6क समिश्र, एफ0एल0–7, एफ0एल0–7ख या एफ0एल0–7ग (क्लब बार लाइसेंस) में बार लाइसेंस धारण करने वाले **के** प्रभार के अन्दर बिक्री कर सकता है, किन्तु आबकारी आयुक्त की अनुमति से **तथा निर्धारित प्रकिया के अनुसार अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके लाइसेंसधारक** अन्य **जिलों** के फुटकर अनुज्ञापियों तथा उपरोक्त इंगित प्रभार के अधिकारिता के बाहर के बार अनुज्ञापनों को भी विकय कर सकेगा।

12– बोतल व कैन के लेबुलों, **सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड,** श्रिंक स्लीव, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों से विगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्व है।

13– लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई **स्प्रिट,** दुग्ध शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि, **कोड निर्माण के यन्त्र,** श्रिंक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।

14– **अनुज्ञप्त परिसर** को अनुज्ञापी /सेल्समैन व उनके परिवार के अलावा अन्य के द्वारा आवासीय प्रयोग हेतु नहीं लाया जायेगा।

15– अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी किया–कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

16– बीयर **एवं कम तीव्रता की मादक पेय** की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

17– अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा।

18– थोक विक्रेता समस्त लोकप्रिय ब्राण्डों को बिक्री हेतु पर्याप्त मात्रा में रखेगा।

19– अनुज्ञापी को अनुज्ञप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से अनुश्रवण किया जा सके।

20– अनुज्ञापी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ।

21– आसवनियों, यवासवनियों एवं बाण्डधारक इकाईयों के गोदामों (बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी/ बी0डब्लू0एफ0एल0–2डी) के परेषण के परिवहन हेतु जी0पी0एस0 युक्त वाहनों का प्रयोग किया जायेगा।

22– लाइसेंसधारी बीयर/देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/ माडल शाप का कोई फुटकर अनुज्ञापन धारण नहीं करेगा।

23– अनुज्ञापी अभिलेखों के रख–रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।

24– अनुज्ञापी गोदाम पर कम्प्यूटर स्थापित कर निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।

दिनांकः..

स्थान–इलाहाबाद।

लाइसेंस प्राधिकारी

विदेशी मदिरा–2डी
समुद्रपार विदेशी मदिरा, बियर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय के संचय व थोक बिक्री के लिये लाइसेंस

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो

एफ0एल0–2डी गोदाम का फोटो

नियम–4 (च) देखें

एफ0एल0–2डी गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....................................

लाइसेंस संख्या ....
जिला ....
अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों का नाम, पूरे पते और आधार नम्बर ....
1–.......................................
2–.......................................
लाइसेंस फीस रु0 (अंकों में) .... शब्दों में ....

प्रतिभूति धनराशि रु0 (अंकों में) .... शब्दों में ....

अनुज्ञप्त परिसर का विवरण
स्थान और मकान संख्या.......................................
थाना..................................तहसील..

चौहद्दी–
उत्तर– .... दक्षिण– ....
पूरब– .... पश्चिम– ....

विक्रेताओं के नाम, पिता का नाम और पते
1...............पुत्र...........निवासी..................
2. ....पुत्र.........निवासी....................
3...............पुत्र...........निवासी..................
4. ....पुत्र.........निवासी....................

समुद्रपार विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व कम तीव्रता की मादक पेय की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को, **जिला** .... के अन्तर्गत ...., (स्थान) पुलिस थाना ... तहसील ..... के लिये दिनांक .... से .... तक के लिये, जिसके लिये **नियम 6 के अनुसार** लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह अनुज्ञापन निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तो के अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी एक का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत

किसी अपराध के लिये दोषसिद्व होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा।

निबन्धन और शर्ते

1. लाइसेंसधारी समुद्रपार विदेशी मदिरा का आयात व संचय "समुद्रपार विदेशी मदिरा का उत्तर प्रदेश में आयात नियमावली 2003" के नियम 3,4 व 5 के अनुसार करेगा।
2. **समय–समय पर ई–भुगतान के माध्यम से अग्रिम में प्रतिफल फीस का (अतिरिक्त प्रतिफल फीस को सम्मिलित करते हुये) और ऐसे उद्ग्रहणीय/करों, उपकरों का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् किसी भी ब्राण्ड की विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय की एक या एक से अधिक सील्ड पेटियों में ही बिक्री की जायेगी।**
3. **लाइसेंसधारी विहित फार्म एवं रजिस्टर** (एफ0एल0–25ए) में, जिसे भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है, नियमित और सही–सही दैनिक हिसाब रखेगा और **निरीक्षण हेतु** जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा **और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट पर भी आन लाईन अपलोड कराया जायेगा।**
4. लाइसेंस थोक परिसर से विदेशी **मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय** का परिवहन **कम्प्यूटर जनित** निर्धारित एफ0एल0–36क पास द्वारा आच्छादित होगा। **पास पर केवल प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित, अधिकृत बिक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि अथवा अनुज्ञापी ही हस्ताक्षर करेगा**, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगें। पास की प्रथम प्रति क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी तथा तीसरी प्रति थोक विक्रेता अपने पास अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास पर थोक विक्रेता द्वारा मदिरा का नाम, बैच नम्बर, निकासी की तिथि, **समय,** मात्रा **सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड** का अंकन किया जायेगा।
5. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दुकानवार दैनिक लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रुप में मांग पत्रों और कुल निकासी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को **भेजेगा**। प्रदेश के अन्य जिलों के फुटकर / थोक अनुज्ञापियों को दी गई निकासी की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को **दैनिक रूप से** उपलब्ध कराई जायेगी **और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा।**
6. लाइसेंसधारी **समुद्रपार से आयातित** विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।
7. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर **आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित** एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, समुद्रपार विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञप्ति धारक थोक विक्रेता, दुकान का अवस्थिति, लाइसेंस का अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी। **साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को भी प्रदर्शित करना होगाः–**
   "प्रतिषिद्ध परिसर के बाहर आस–पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है । इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"
8. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रुप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ–भूमि का हो **या महिला हो । लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत सम्बन्धित विक्रेता का सम्यक रूप से फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।**
9. लाइसेंसधारी, उत्तर प्रदेश के अन्दर **प्रपत्र वि0म0–2 तथा वि0म0–2बी में लाइसेंस धारण करने वाले थोक लाइसेंसधारकों तथा** लाइसेंस प्राप्त फुटकर विक्रेताओं **तथा बार एवं क्लब बार अनुज्ञापियों** को **समुद्रपार से आयातित** विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय **सुरक्षा प्रणाली के अधीन कोड लगी बोतलों/कैन में** बेचेगा।
10. लाइसेंसधारी के लिये किसी भी दशा में बोतल व कैन के लेबुलों, **सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगा कोड,** पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों से विगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्व है।
11. लाइसेंसधारी, अपने अनुज्ञापित परिसर में **स्प्रिट,** रंग, सुगंधि, **कोड निर्माण यन्त्र,** श्रिंक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।
12. **दुकान के परिसर का उपयोग** सेल्समैन व उनके परिवार के **सिवाय** आवासीय प्रयोग हेतु नहीं **किया** जायेगा।
13. अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/**जिलाधिकारी** सुसंगत विधियॉ के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया–कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
14. समुद्रपार **से आयातित विदेशी** मदिरा, बीयर, वाइन **एवं कम तीव्रता के मादक पेय** की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस

दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

15. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा।

16. **थोक विकेता समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा/बीयर/ वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के लोकप्रिय ब्राण्डों को बिकी हेतु पर्याप्त मात्रा में रखेगा।**

17. अनुज्ञापी को अनुज्ञप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से अनुश्रवण किया जा सके ।

18. **अनुज्ञापी को सुरक्षा प्रणाली और अग्निशमन यंत्र की आवश्यक व्यवस्था करना होगा ।**

19. **समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय के परेषण के परिवहन हेतु जी0पी0एस0 युक्त वाहनों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा ।**

20. लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा/देशी मदिरा/बीयर या माडल शाप का कोई फुटकर अनज्ञापन धारण नहीं करेगा।

21. अनुज्ञापी अभिलेखों के रख–रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।

22. अनुज्ञापी गोदाम पर कम्प्यूटर स्थापित कर निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।

दिनांकः...............................
स्थान–इलाहाबाद।

लाइसेंस प्राधिकारी